स्कूल हिल्ला विभाग मध्यप्रदेश शासन

मञालय

Φπίσ / μυ-44.1 2019 / 20-2 /5 53

गोणल. हिनांक 20/06 19

राज्य शासन द्वारा पूर्व में वी.एक. पार्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क संबंधित सभी आदेश / निदेशों को निरस्त करते हुए राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों, प्रगत ्रीसिक अध्ययन संस्थान एवं राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित वी.एड. (नियमित) पाट्यकम हेतु शासकीय /स्थानीय निकायों के प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों हेतु निग्नानुसार आदेश शुन्क निर्धारित किया जाता है:-

नीट:- उक्त तालिकाओं में उल्लेखित क्रमांक 8 एवं 11 पर सी जाने वाली राशि पात्यकम पूर्व होने पर अथवा छात्र द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त पात्यक्रम छोड़ देने पर छात्र को वापसी योग्य होगी। विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के संबंध में तिये जाने वाले शुत्क पृथक से देय होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपात के नाम से तथा आदेशनुसार

गच्यप्रदेश शासन, स्कूत शिक्षा किगाग